

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

(पीठासीन अधिकार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पचासवीं लोक अदालत/कैम्प कोर्ट का स्थान :- चांदपुर

उनवान

बनाम

मुण्डावर व अन्य

रामचंद्र कौर

गद्दीगण

प्राणेश/गद्दीगण

दावा बाबत :- 188 R.T. Act.

प्रकरण संख्या 202/16

निर्णय दिनांक 19-6-17

वादी की ओर से वकील श्री/... की व प्रतिवादी की ओर से वकील श्री/... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19-6-17 को अहमद खान/... (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :- हाल का. ल. नं. 322/78897 के

गुण में उक्त वहील, मुण्डावर जिला कलक्टर (राज.) के कक्ष में आकर प्रतिवादी का नाम
की डू. डू. इकाई के लें व लें के लिए पाबंद किया जाता है कि
द्वितीय काप्रीक, उद्योग नहीं बने। ना उक्त कोड का अतिक्रमण कर अपनी
काप्रीक डिलाई ना हो वादीगण एवं उक्त प्रतिवादीगण की कृपया कक्ष
काप्रीक किमी, फुलर के मजदूर की वेतन को पाबंद रहे। वाद
श्रीपक विवाद एवं डिक्री का अतिक्रमण न हो

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19-6-17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अहमद खान)
उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
मुण्डावर (अलवर) राज.
 पदेन सहायक कलक्टर
 मुण्डावर (अलवर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	- 10/-	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	- 10/-
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. रूपये पर प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. कमिश्नर की फीस	
6. कमिश्नर की फीस		6. आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामील			
योग		योग	

(अहमद खान)
उपखण्ड अधिकारी
 मुण्डावर (अलवर) राज.